कोर्टकेस/समयबद्ध

संख्या- 265/71-4099/1011/2022

प्रेषक,

हरीश कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 19 सितम्बर, 2026

विषय:- यू0पी0 नीट यू0जी0 2026 की आनलाइन काउंसिलिंग में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक शासन के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-263/71-4099/1011/2022 दिनांक-18.09.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रिट सी याचिका संख्या-9943/2026 सचिन सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.2026 के अनुपालन में नीट यू0जी0 2026 की काउंसिलिंग हेतु शासनादेश संख्या-1/1448377/2026/71-4099/1011/2022 दिनांक-01.09.2026 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या-6(क) ii पर उल्लिखित स्पेशल कम्पोनेन्ट आरक्षण व्यवस्था के स्थान पर उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 2006 के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था लागू करते हुए काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रारम्भ कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक-18.09.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नवत निर्णय लिया गया है:-

(क) नीट यू0जी0 2026 में प्रथम चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से शासकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में जिन छात्रों द्वारा प्रवेश लिया जा चुका है, उनका प्रवेश यथावत बना रहेगा।

(ख) रिट याचिका सी सं0 7820/2025 साबरा अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, स्पेशल अपील सं0-295/2025 उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम साबरा अहमद एवं रिट याचिका संख्या-9943/2026 सचिन सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 न्यायालय के आदेशों के विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(ग) शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु यू0पी0 नीट यू0जी0 काउंसिलिंग में शासकीय क्षेत्र के 04 मेडिकल कालेजों यथा-अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन तथा सहारनपुर जहॉं पर समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रभावी विशेष सम्न्वित योजना के अन्तर्गत आरक्षण व्यवस्था लागू है, को द्वितीय तथा आगामी चक्रों की काउंसिलिंग में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जब तक मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित की जाने वाली विशेष अनुज्ञा याचिका में कोई निर्णय प्राप्त नहीं होता है। अतएव उक्त मेडिकल कालेजों में प्रथम चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से छात्रों का प्रवेश मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित की जाने वाली विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

3- यह भी उल्लेखनीय है कि शासकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की सीटों में वृद्धि नेशनल मेडिकल कमीशन (एन0एम0सी0), नई दिल्ली की अनुमति के बिना किया जाना सम्भव नहीं है।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरीश कुमार)
उप सचिव

संख्या एवं तदिदनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ।
2) प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3) सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
4) कुलसचिव, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
5) कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6) निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ।
7) निदेशक, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8) निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।
9) प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
10) निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
11) समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12) समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
14) निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
15) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
उप सचिव